<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू</u>
<u>पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)</u>

मुकदमा नम्बर 137/2020 दायर दिनांक–21.08.2020

1 उर्मिला देवी पुत्री देवकरण पत्नी सांवरमल
2 अनिता देवी पुत्री देवकरण पत्नी श्रीराम
3 पुनम देवी पुत्री देवकरण पत्नी संदीप कुमार
4 सुभिता देवी पुत्री देवकरण पत्नी विकास
5 पिंकी देवी पुत्री देवकरण पत्नी संजय
6 निकिता देवी पुत्री देवकरण पत्नी सीताराम समस्त जाति निवासी तुर्काणी जोहड़ी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. संजू देवी पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी तुर्काणी जोहड़ी निवासी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़।
2. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– श्री नेमीचंद डूडी

<u>दावा बाबत इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड</u>
<u>व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक– 04.04.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम तुर्काणी जोहड़ी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 469/47, 471/50, 476/55 रकबा क्रमशः 0.51, 0.1140, 0.1120, 0.3960 0.39 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1320 है0 स्थित है। उक्त भूमि वादियागण की पैत्रिक खातेदारी काश्त की भूमि रही है उक्त भूमि वादियागण के परदादा हरूराम की खातेदारी काश्त की भूमि रही है। वादियागण के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही की है। वादियागण के दादा हरूराम की वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज है। हरूराम के दो पुत्र सुखदेवा व गोरूराम व स्व0 सुखदेवाराम के पांच पुत्र मोहन, हनुमान, श्रीचंद, रतनलाल, देवकरण हुये। इस वाद पत्र में केवल देवकरण के हिस्से का विवाद है। देवकरण के एक पुत्र संदीप व 6 पुत्रियां उर्मिला, अनिता, पुनम, सुभिता, पिंकी, निकिता है। स्व देवकरण की पत्नी केशरीदेवी व पुत्र संदीप का स्वर्गवास हो चुका है। संदीप की पत्नी संजू देवी है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में स्व0 देवकरण के 6 पुत्रियां व एक पुत्र हुये जिनका बराबर बराबर 1/7–1/7 हिस्सा बनता है। नामांतकरण संख्या 53 दिनांक 07.12.2009 के द्वारा स्व0 देवकरण के स्थान पर अकेले केशरदेवी पत्नी देवकरण व संदीप पुत्र देवकरण के नाम विवादग्रस्त भूमि दर्ज हो गई जबकि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को विधिवत जांच कर वादियागण नं0 1 लगायत 6 का नाम भी दर्ज करना चाहिए था। वर्तमान में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का खाता अलग होकर खातेदारी गलत रूप से केशर देवी पत्नी देवकरण हिस्सा 1/2 व संदीप पुत्र देवकरण हिस्सा 1/2 दर्ज शुदा है उक्त [illegible] का ही स्वर्गवास हो चुका है उक्त दोनो के वारिस भी कानूनन वादियागण 1 लगायत 6 व प्रतिवा[illegible] 1 [illegible]न्तु नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 07.12.2009 को भरते वकत गलत रूप से उक्त केशर देवी व [illegible] अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज चलता आ रहा है। जिसका वादियागण को आज तक कोई इल्[illegible] था। पर अब उक्त केशरदेवी व संदीप का स्वर्गवास होने पर वादियागण ने अपनी पैत्रिक भूमि का राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तब पत[illegible] कि उक्त दोनों ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व [illegible]र्ड गलत रूप से अपने नाम [illegible] करवा रखा है। इस कारण वादियागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 07.12.2009 व उससे बना समस्त राजस्व रिकॉर्ड वादियागण के वैध अधिकारों के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर है। ऐसी हालत में उक्त नामान्तकरण व उससे बना राजस्व रिकॉर्ड को बेअसर घोषित करते हुए वादियागण 1 लगायत 6 को प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इस कारण वादियागण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

35

लिए यह दावा इश्तकरार हक दुरूस्ती रिकॉर्ड व शुन्य व बेअसर किये जाने गलत राजस्व रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ है।

इस्तदुआ वादियागण यह है कि दावा हाजा की डिक्री बहक वादियागण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जावेः– वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहड़ी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 469/47, 471/50, 476/55 रकबा क्रमशः 0.51, 0.1140, 0.1120, 0.39 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1320 है0 में वादियागण प्रत्येक का 1/7–1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 को हिस्सा 1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादियागण नं0 1 लगायत 6 व प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी नं0 2 तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावे।

प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाया जावे कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किसी अन्य को न तो विक्रय करे तथा ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे अथवा न ही अपने अधिनस्थ प्रतिनिधि, नौकर चाकर से करवाये। वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री नेमीचंद डूडी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 02 की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी 01 द्वारा इकबाली जबाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी उर्मिला उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रर्दश 2 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत् 2031–34 प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत् 2046–49 प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी संवत् 2050–53 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी संवत् 2019–2022 प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी संवत् 2026–30 प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी संवत् 2015–18 प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी संवत् 2063–66 प्रदर्श 10 नकल जमाबंदी संवत् 2062–65 प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी संवत 2058–2061 प्रदर्श 12 नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 प्रदर्श आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत वादी पेश होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराया तथा वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों बाबत सहमति प्रदान की। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **राजस्व ग्राम** तुर्काणी जोहड़ी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 469/47, 471/50, 476/55 रकबा क्रमशः 0.51, 0.1140, 0.1120, 0.39 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1320 है0 में वादियागण 01 लगायत 06 तथा प्रतिवादी नं0 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादित अराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहड़ी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 469/47, 471/50, 476/55 रकबा क्रमशः 0.51, 0.1140, 0.1120, 0.39 है0 (0.3960) कुल किता 4 कुल रकबा 1.1320 है0 में वादियागण 01 लगायत 06 तथा प्रतिवादी नं0 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादित अराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति ब[illegible] तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान् अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार [illegible] डिक्री [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर [illegible] निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

4/4/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

नोट :- आदेशिका दिनांक 20/6/25 के अनुसरण मे ख० न० 476/55 का रकबा 0.39 है० के स्थान पर 0.3960 दुरूस्त किया जाता है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

36

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 137/2020 **(उर्मिला देवी बनाम संजू देवी आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.04.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहड़ी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 469/47, 471/50, 476/55 रकबा क्रमशः 0.51, 0.1140, 0.1120, 0.39 (0.3960) है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1320 है0 में वादियागण 01 लगायत 06 तथा प्रतिवादी नं0 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। **तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।** प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादित अराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान् अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.04.2024 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 4/4/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

नोट :- आदेशिका दिनांक 20/6/25 के अनुसरण मे भूमि ख. नं. 476/55 का रकबा 0.39 है0 के स्थान पर 0.3960 पढ़ा जाता है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested